



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19082023-248185  
CG-DL-W-19082023-248185

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 6—अगस्त 12, 2023, शनिवार/श्रावण 15—श्रावण 21, 1945  
No. 30] NEW DELHI, AUGUST 6—AUGUST 12, 2023, SATURDAY/SHARAVNA 15—SHARAVNA 21, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (सफाई कर्मचारी) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में बहुकार्यकर्मचारीवृन्द (सफाई कर्मचारी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.		
--	--	--	--

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(10)	(11)	(12)	(13)
100 per cent. by direct recruitment. <b>Note :</b> Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (b) possessing the qualifications and experiences prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	<b>Group 'C'</b> <b>Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: -</b> 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Chairman; 2. Assistant Director or Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Gouripur -Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/58/2019-Lep]

GANESH KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

**सा.का.नि. 93** .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (समूह घ पद) भर्ती नियम, 1978 को, जहाँ तक उनका संबंध ड्रेसर के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में ड्रेसर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, ड्रेसर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ(4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ(13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ड्रेसर	02 (2023) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100/- रुपये)	अचयन	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति:</b> नर्सिंग ऑरडरली या थियेटर परिचर में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये) में छः वर्ष नियमित सेवा की है। <b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2(19900-63200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1(18000-56900 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस श्रेणी में छः वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हों: 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से नर्सिंग अससिस्टेंट या दुर्घटना और आपातकालीन देखरेख तकनीक में डिप्लोमा या प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। 3. पाठ्यक्रम संबद्ध राज्य के चिकित्सा या तकनीकी शिक्षा महानिदेशालय से मान्यताप्राप्त है। <b>टिप्पण 1:</b> पदोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित ग्रेड या पद के अधिकारियों हेतु विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी। <b>टिप्पण 2:</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। <b>टिप्पण 3 :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के</p>	<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक (सर्जिकल), केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 3. सहायक परिचर्या अधीक्षक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य।</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

<p>उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 4:</b> प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
--	--	--

[फा. सं. ए-12018/10/2019-कुछ]

गणेश कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd August, 2023

**G.S.R. 93.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the General Leprosy Training Research Institute (Group D Posts) Recruitment Rules, 1978, in so far it relates to the post of Dresser, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for the post of Dresser in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Dresser (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dresser	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 3 in the pay matrix (Rs. 21700 - 69100).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
Promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>From Nursing Orderly or Theater Attendant with six years regular service in the grade with level – 1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories:</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the pay level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with six years regular service in the pay level-1 (Rs.18000-56900) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(b) possessing the qualifications and</p>	<p><b>Group ‘ C ’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman;</li> <li>2. Assistant Director (Surgical), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member;</li> <li>3. Assistant Nursing Superintendent, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member;</li> <li>4. Administrative Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Member.</li> </ol>	Not applicable.

	<p>experience as under:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Passed 12<sup>th</sup> Class or equivalent from a recognised University or Board.</li> <li>2. Passed Diploma or Certificate course in Nursing Assistance or Accident and Emergency care Technology from a Government recognised Institute.</li> <li>3. The course should be recognized by the concerned state Directorate of Medical or Technical Education.</li> </ol> <p><b>Note 1:</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of the prescribed qualifying service by the officers in the respective grade or post.</p> <p><b>Note 2:</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note 3:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall</p>		
--	---	--	--